FAQs Related to Reservation

Q1. एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर सरकार की नीति क्या है?

उत्तर: अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए खुली प्रतियोगिता में क्रमशः 15%, 7.5% और 27% की दर से आरक्षण दिया जाता है। खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण क्रमशः 16.66%, 7.5% और 25.84% है। Group सी और डी पदों पर सीधी भर्ती के मामले में जो आम तौर पर किसी इलाके या क्षेत्र से उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत आमतौर पर संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में तय किया जाता है। ओबीसी के लिए यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी के लिए कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर रहता है और ओबीसी के लिए आरक्षण 27% की सीमा के भीतर रहता है।

गैर-चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं के सभी समूहों (ए, बी, सी और डी) में क्रमशः 15% और 7.5% की दर से उपलब्ध है। चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति के मामले में समान दरों पर Group 'ए' के सबसे निचले पायदान तक आरक्षण उपलब्ध है।

Q2. आरक्षण नीति के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
(i) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को सीधी भर्ती के मामले में और गैर-चयन पद्धति द्वारा की गई पदोन्नति के मामले में सरकार के तहत पदों के सभी समूहों में आरक्षण मिलता है। चयन द्वारा की गई पदोन्नति के मामले में, जब समूह बी, सी, डी पदों में और समूह बी से समूह 'ए' पदों में सबसे निचले पायदान पर पदोन्नति की जाती है, तो उन्हें आरक्षण उपलब्ध होता है।

(ii) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भी उनकी योग्यता के आधार पर अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

(iii) सीधी भर्ती के मामले में पदों के अनारक्षण पर सामान्य प्रतिबंध है।

(iv) सीधी भर्ती के मामले में विभिन्न छूट, जैसे आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट: परीक्षा/आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट: यूपीएससी/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव की योग्यता में छूट: उपयुक्तता के मानक में छूट। आदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं।

(v) सीधी भर्ती के मामले में, ओबीसी को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट, उपयुक्तता के मानकों में छूट आदि मिलती है।

(vi) आरक्षण नीति का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों में संपर्क अधिकारियों (Liaison officer) की नियुक्ति का प्रावधान है।

Q3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए क्या छूट उपलब्ध हैं?

उत्तर: सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध छूट इस प्रकार हैं: -
a) ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट:
b) परीक्षा / आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट;
c) जहां साक्षात्कार भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है, वहां अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का अलग से साक्षात्कार किया जाना चाहिए:
d) यूपीएससी / सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में अनुभव के संबंध में योग्यता में छूट दी जा सकती है;
e) उपयुक्तता के मानकों में ढील दी जा सकती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रोन्नति में जो छूट उपलब्ध है वह इस प्रकार है:-

a) विचार के सामान्य क्षेत्र (normal zone of consideration) के भीतर उपयुक्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रिक्तियों की संख्या के पांच गुना तक विचार क्षेत्र बढ़ाया जाता है:

b) न्यूनतम अर्हक अंक/मूल्यांकन के मानकों में छूट दी गई है;

c) ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जा सकती है जहां पदोन्नति के लिए ऊपरी आयु सीमा पचास वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, आदि।

Q4. ओबीसी को क्या छूट उपलब्ध है?

उत्तर: ओबीसी को सीधी भर्ती में उपलब्ध छूट इस प्रकार है:
(i) ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट।
(ii) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यता में छूट दी जा सकती है।
(ii) उपयुक्तता के मानकों में ढील दी जा सकती है, आदि।

Q5. एक स्व-योग्य (own merit) उम्मीदवार कौन है?

उत्तर: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन के समान मानक पर चुना जाता है और जो सामान्य योग्यता सूची में उपस्थित होता है, उसे स्व-योग्य उम्मीदवार माना जाता है। ऐसे उम्मीदवार को आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित बिंदु के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

Q6. पद आधारित (post based) आरक्षण और रिक्ति आधारित (vacancy based) आरक्षण में क्या अंतर है?

उत्तर: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए 2.07.1997 से पहले आरक्षण रिक्ति आधारित रोस्टर के माध्यम से लागू किया गया था, जिसमें आरक्षित रिक्तियों की गणना रिक्तियों की कुल

संख्या पर निर्भर करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने आर.के. सभरवाल मामले में कहा कि कैडर में आरक्षण की गणना कैडर में पदों की कुल संख्या के आधार पर की जानी चाहिए न कि रिक्तियों के आधार पर। इसका अर्थ यह है कि यदि अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण है और एक ग्रेड में संवर्ग (कैडर) की संख्या 100 है, तो 15 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे अर्थात किसी भी समय इस कैडर में 15 पद आरक्षण द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति के पास होने चाहिए। जब भी उनका प्रतिनिधित्व कम होगा, उसे पूरा किया जाएगा।

Q7. बैकलॉग रिक्ति क्या है और सेवाओं में इतनी अधिक बैकलॉग रिक्तियां क्यों हैं?

उत्तर: किसी श्रेणी की आरक्षित बैकलॉग रिक्तियां वे रिक्तियां हैं जो उस श्रेणी के लिए और पहले भर्ती वर्ष में आरक्षित रखी गई थीं, लेकिन उस श्रेणी से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण पिछले भर्ती प्रयास में अधूरी रह गईं और अभी भी अधूरी पड़ी हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यदि भर्ती के पहले प्रयास में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती के लिए दूसरा प्रयास किया जाता है। उसी भर्ती वर्ष में या अगले भर्ती वर्ष से पहले जितनी जल्दी हो सके संबंधित श्रेणी ताकि बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का निर्माण न हो।

हालांकि, इस तरह के प्रयास करने के बाद भी आरक्षित रिक्तियों को नहीं भरा जाता है और बैकलॉग रिक्तियां बनाई जाती हैं जिन्हें बाद के भर्ती वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं। देखा गया कि बैकलॉग आरक्षित रिक्ति के सृजन का कारण कुछ पदों के लिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता है।

Q8. क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों पर 50% आरक्षण की सीमा लागू होगी?

उत्तर: बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को विशेष और विशिष्ट समूह के रूप में माना जाता है और भर्ती वर्ष में 50% आरक्षण की सीमा बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों पर लागू नहीं होती है।

Q9. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे क्या उद्देश्य है?

उत्तर: जाति प्रमाण पत्र जारी करने का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के वास्तविक उम्मीदवारों को राज्य के तहत आरक्षित पदों और सेवाओं और राज्य द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना है।

Q10. क्या सरकार ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे के उद्देश्य को हासिल किया है?

उत्तर: जाति प्रमाण पत्र के आधार पर, बड़ी संख्या में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त निकायों आदि में रोजगार पाने में सक्षम हुए हैं।

Q11. आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति के एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास के मामले में क्या दिशानिर्देश हैं?

उत्तर: जब कोई व्यक्ति राज्य के उस हिस्से से प्रवास करता है जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, उसी राज्य के दूसरे हिस्से में, जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित नहीं है, तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाता रहेगा या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो।
जब कोई व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य का सदस्य है, तो वह केवल उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है, जहां से वह मूल रूप से संबंधित था, न कि उस राज्य के संबंध में जहां से वह प्रवास कर चुका है।

Q12. आरक्षित स्थान खाली रह जाने की स्थिति में क्या अयोग्य व्यक्ति को भरा जा सकता है?

शैक्षणिक संस्थानों में एक वक्त तक ऐसी व्यवस्था थी जहां खाली रह गए आरक्षित सीटों को सभी के लिए खोल दिया जाता था। यानी कि open category में डाल दिया जाता था पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार आरक्षित सीटें open category में नहीं डाली जाएगी बल्कि ऐसी स्थिति में खाली सीटों को भरने के लिए कट ऑफ को नीचे लाया जा सकता है। पर आरक्षित सीट को आरक्षित वर्ग के व्यक्ति द्वारा ही भरा जाएगा।

Disclaimer

THIS FAQ PDF IS A TRANSLATED VERSION OF DOPT'S POLICY OF RESERVATION TO SCS, STS AND OBCS:

Click here for source
visit my site for more information

Wonderhindi.com